मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०२२

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

धारा १० का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, २००७ (क्रमांक २४ सन् २००७) की धारा १० में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(ख) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा की जा रही नियुक्तियां, जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, के संबंध में चयन पद्धति विकसित करना और/या चयन प्रक्रिया का संचालन करना और उनके अनुरोध पर ऐसा चयन करना;

(ग) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे क्रियाकलाप करना, जो युवा छात्रों को विभिन्न प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिये सहायता करें;

(घ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं की अवसंरचना विकास के लिए ऐसे क्रियाकलाप संचालित करना, जो छात्रों के हित में हों.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, २००७ (क्रमांक २४ सन् २००७) की धारा १० मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के उद्देश्यों से संबंधित है. जिसके अनुसार मण्डल के उद्देश्य राज्य सरकार, अन्य राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा की जा रही नियुक्ति के संबंध में चयन पद्धति विकसित करना और/या चयन प्रक्रिया संचालित करना तथा उनके अनुरोध पर ऐसे चयन करना है. अब यह प्रस्तावित है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आती हैं, युवा छात्रों की प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायता करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मण्डल द्वारा संचालित की जाएंगी, जिससे कि होनहार प्रतिभागियों का चयन किया जा सके. यह प्रस्तावित है कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य के छात्रों के हित में राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं की अवसंरचना विकास के लिए एक खण्ड जोड़ा जाना प्रस्तावित है. अतएव, मूल अधिनियम की धारा १० में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख १६ दिसम्बर, २०२२.

इन्दर सिंह परमार
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, २००७ (क्रमांक २४ सन् २००७) से उद्धरण

*　　　　*　　　　*

धारा-१० (क) राज्य सरकार, अन्य राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय या राज्य-स्तरीय संस्थाओं के अनुरोध पर, विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करना;

(ख) राज्य सरकार, अन्य राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं द्वारा की जा रही नियुक्तियों के संबंध में चयन पद्धति विकसित करना और/या चयन प्रक्रिया का संचालन करना और उनके अनुरोध पर ऐसा चयन करना.

*　　　　*　　　　*

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.